न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (एस.डी.ओ.) सिणधरी

पीठासीन अधिकारी :श्री जगदीश सिंह आशिया, आर.ए.एस.

राजस्व आवेदन संख्या 64 / 2024

प्रार्थीगण   बनाम   विप्रार्थीगण

1. बालाराम पुत्र टीकमाराम
2. जोगाराम पुत्र टीकमाराम जातियान जाट निवासी धनवा तहसील सिणधरी जिला बालोतरा

1. मगसिंह पुत्र अचलसिंह
2. स्वरूपसिंह पुत्र अचलसिंह
3. तनसिंह पुत्र अचलसिंह
4. रसालकंवर पत्नि अचलसिंह
5. आसकंवर पत्नि जोगसिंह
6. हड़मतसिंह पुत्र जोगसिंह
7. गणेशकंवर पुत्री जोगसिंह
8. बिंजराजसिंह पुत्र जोगसिंह जातियान राजपूत निवासी धनवा तहसील सिणधरी जिला बालोतरा
9. शाखा प्रबन्धक स्टेट बैंक ऑफ इंण्डिया शाखा दाखां
10. तहसीलदार सिणधरी

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 251 क, आर.टी एक्ट 1955

उपस्थिति–

1. श्री पाबुराम बेनिवाल, वकील प्रार्थीगण की ओर से उपस्थित।
2. प्रतिवादीगण एक़तरफा। राज.पैरोकार नायब तहसीलदार(उपखण्ड कार्यालय सिणधरी) विप्रार्थी संख्या 10 की ओर से अनुपस्थित।

आदेश

दिनांक–21.06.2024

1.संक्षेप में आवेदन के सुसंगत तथ्य इस प्रकार है, कि प्रार्थीगण की सहखातेदारी भूमि खसरां संख्या 61/1 रकबा 5.0401 हैक्टेयर ग्राम धनवा पटवार क्षेत्र धनवा तहसील सिणधरी जिला बालोतरा में अवस्थित है। उक्त खेत से सड़क मार्ग तक आने जाने हेतु विप्रार्थीगण संख्या 1 से 8 की खातेदारी खेत संख्या 61 रकबा 10.0801 हैक्टेयर मौजा धनवा पटवार मण्डल धनवा तहसील सिणधरी भूमि आयी हुई है। काश्त के समय प्रार्थीगण की जोत खसरा संख्या 61/1 के चारों ओर से काश्तकार अपनी काश्त कर

उपखण्ड अधिकारी
सिणधरी

लेते है जिससे प्रार्थीगण को अपनी जोत में जाने से बाधित हो जाते है एवं हर बार रास्ते को लेकर भारी विरोध होता है। जिससे प्रार्थीगण को अपने खेत तक आने जाने में समस्या आती है। विप्रार्थीगण संख्या 1 से 8 का खेत सरकारी रास्ता से जुड़ा है जो मौके पर स्थाई रूप से बारहमासी चलायमान सरकारी रास्ता है और उक्त प्रस्तावित रास्ता ही प्रार्थीगण के लिए सुविधा जनक है.क्योंकि उक्त अनकटा रास्ता इस हेतु इकलौता विकल्प है तथा रास्ते की प्रार्थीगण को आत्यन्तिक आवश्यकता है। अतः प्रार्थीगण ने खसरा संख्या 61/1 रकबा 5.0401 हैक्टेयर ग्राम धनवा पटवार क्षेत्र धनवा तहसील सिणधरी जिला बालोतरा से सड़क मार्ग तक जोने हेतु विप्रार्थीगण संख्या 1 से 8 के खेत खसरा संख्या 61 मौजा धनवा में से होकर गुजरते हुए रास्ते के रूप में प्रयुक्त हो रही भूमि का राजस्व रिकॉर्ड में सरकारी खाते में गैर मुमकिन रास्ता दर्ज करवाने हेतु यह आवेदन प्रस्तुत किया है।

2.प्रार्थीगण का आवेदन दर्ज रजिस्टर कर विप्रार्थीगण को जरिये रजिस्ट्रर्ड नोटिस तलब किया गया। विप्रार्थीगण के नोटिस तामील शुदा प्राप्त हुई। विप्रार्थी संख्या 1 से 9 को सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिये जाने के उपरांत भी जवाब प्रस्तुत नहीं करने पर उनके विरूद्व एकतरफा कार्यवादी अमल में लाई गई। विप्रार्थी संख्या 10 की ओर से राज. पैरोंकार नायब तहसीलदार द्वारा जवाब पेश नहीं किये जाने जवाब बन्द किया गया। विवादित भूमि की मौका रिर्पोर्ट तहसीलदार सिणधरी से तलब की गई।

3. प्रार्थीगण अधिवक्ता की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थीगण ने आवेदन के तथ्यों को दोहरातें हुए बहस कि थी कि प्रार्थीगण की सहखातेदारी भूमि खसरां संख्या 61/1 रकबा 5.0401 हैक्टेयर ग्राम धनवा पटवार क्षेत्र धनवा तहसील सिणधरी जिला बालोतरा में अवस्थित है। उक्त खेत से सड़क मार्ग तक आने जाने हेतु विप्रार्थीगण संख्या 1 से 8 की खातेदारी खेत संख्या 61 रकबा 10.0801 हैक्टेयर मौजा धनवा पटवार मण्डल धनवा तहसील सिणधरी भूमि आयी हुई है। एवं काश्त के समय प्रार्थीगण की जोत खसरा संख्या 61/1 के चारों ओर से काश्तकार अपनी काश्त कर लेते है जिससे प्रार्थीगण को अपनी जोत में जाने से बाधित हो जाते है एवं हर बार रास्ते को लेकर

उपखण्ड अधिकारी
सिणधरी

भारी विरोध होता है। जिससे प्रार्थीगण को अपने खेत तक आने जाने में समस्या आती है। विप्रार्थीगण संख्या 1 से 8 का खेत सरकारी रास्ता से जुड़ा है जो मौके पर स्थाई रूप से बारहमासी चलायमान सरकारी रास्ता है और उक्त प्रस्तावित रास्ता ही प्रार्थीगण के लिए सुविधा जनक है,क्योंकि उक्त अनकटा रास्ता इस हेतु इकलौता विकल्प है तथा रास्ते की प्रार्थीगण को आत्यन्तिक आवश्यकता है। आगे ओर कथन किया कि प्रस्तावित रास्ते की तहसीलदार सिणधरी द्वारा मौका जांच की गई और मौका रिपोर्ट दिनांक 19.06.2024 के अनुसार विप्रार्थीगण द्वारा सहमती जाहिर कर सहमतिस्वरूप अपने हस्ताक्षर किए गए एवं प्रार्थीगण को रास्ता दिए जाने की अनुशंषा की गई है। इससे अदालत को यह प्रतीत होता है,कि वादी के वाद को स्वीकार किये जाने की विप्रार्थीगण की स्वीकृति है। अतः तहसीलदार सिणधरी की रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थीगण के पक्ष में रास्ता निकालने की स्वीकृति प्रदान करते हुए उक्त रास्ता राजकीय खाते मे गैर मुमकिन रास्ते के रूप में दर्ज किया जावे। प्रार्थीगण रास्ते में जाने वाली भूमि के बदले विप्रार्थी संख्या 1 से 8 को न्यायालय द्वारा निर्धारित क्षतिपूर्ति राशि अदा किये जाने से भी सहमत है। ऐसी सूरत में उक्त प्रस्तावित रास्ता स्वीकृत किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है और तहसीलदार सिणधरी द्वारा प्रस्तावित रास्तें का मौका मुआयना करने से पूर्व जरिये नोटिस़ पक्षकारान को सूचित किया जाकर उनकी उपस्थिति में मौका जांच कार्यवाही की गई। जो मौका रिपोर्ट के संलग्न नोटिस अवलोकन से भी स्पष्ट है। इस प्रक़ार रास्ते हेतु खसरा संख्या 61 क्षेत्रफल 10.0801 हैक्टयर में लम्बाई 338 मीटर व चौड़ाई 4.25 मीटर रकबा 1437 वर्गमीटर अथार्त 0.1437 हैक्टयर का रास्ता प्रस्तावित किया गया। उक्त प्रस्तावित भूमि की डी.एल.सी. दर अंसिचित सड़क के पास राशि–3,42,263/–रूपयें प्रति हैक्टयर है। **नियमानुसार** रास्ते में प्रभावित भूमि के खातेदारान को उक्त भूमि की डी.एल.सी दर से दुगुनी राशि प्रार्थीगण से दिलवाने जाने का प्रावधान है। इस प्रकार मौजा धनवा पटवार क्षेत्र धनवा तहसील सिणधरी के खेत खसरा संख्या 61 क्षेत्रफल 10.081 हैक्टयर में लम्बाई 338 मीटर व चौड़ाई 4.25 मीटर रकबा 1437 वर्गमीटर अथार्त 0.1437 हैक्टयर की

उपखण्ड अधिकारी
सिणधरी

राशि–98,366/–विप्रार्थी संख्या 1 से 8 को दी जानी प्रस्तावित है। उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है,कि प्रार्थीगण को रास्ते की आत्यन्तिक आवश्यकता है और उक्त रास्ते के अलावा अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता भी उपलब्ध नहीं है। इस प्रकार प्रार्थीगण रास्ता पाने के हकदार है। प्रार्थीगण रास्ते की भूमि के बदले क्षतिपूर्ति राशि अदा किये जाने हेतु सहमत है।

6.लिहाजा प्रार्थीगण का आवेदन स्वीकार किया जाकर मौजा धनवा पटवार क्षेत्र धनवा तहसील सिणधरी के खेत खसरा संख्या 61 क्षेत्रफल 10.0801 हैक्टयर में लम्बाई 338 मीटर व चौड़ाई 4.25 मीटर रकबा 1437 वर्गमीटर अथार्त 0.1437 हैक्टयर की राशि–98,366/–विप्रार्थी संख्या 1 से 8 को भुगतान करतें हुए मौका रिपोर्ट के सलंग्न दर्शित नक्शे में बरंग लाल कलर ——दर्शाये अनुसार चौड़ा रास्ता निकालने की स्वीकृति प्रदान की जाती है। प्रार्थी द्वारा विप्रार्थी संख्या 1 से 8 को क्षतिपूर्ति कुल राशि–98,400/–अक्षरे अट्ठानबे हज़ार चार सौ रूपयें मात्र तहसील कार्यालय सिणधरी में संधारित जी.ए.55 रसीद के जरिये राजकोष में जमा करवाये जाने पर तहसीलदार सिणधरी को उपरोक्तानुसार में प्रस्तादित रकबानुसार रास्ते में जाने वाली भूमि का राजकीय खाते में गैर मुमकिन रास्ते के रूप में राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद एवं नक्शा ट्रेस में दुरूस्ती सुनिश्चित करने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार सिणधरी के पत्र कमांक:भू.अ./वाद/2024/1706 दिनांक 19.06.2024 के द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट के संलग्न नक्शा उक्त आदेश का अभिन्न अंग रहेगा।

(जगदीश सिंह आशिया)
उपखण्ड अधिकारी सिणधरी

आदेश आज दिनांक 21.06.2024 को लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी सिणधरी